विदेश पूंजी निवेश

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रसारण, फिल्म, प्रिंट तथा विज्ञापन के क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश के बारे में नीति निर्धारित करने वाला केन्द्रीय मंत्रालय है। यह व्यापक राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए विदेशी पूंजी निवेश आंमत्रित करता है और कानून बनाता है।

विज्ञापन क्षेत्र

विज्ञापन क्षेत्र में सीधे विदेशी पूंजी-निवेश के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश लागू हैं - नई परियोजनाओं या नये क्षेत्र की परियोजनाओं में विदेशी पूंजी निवेश के प्रतिशत पर कोई सीमा नहीं तय की जानी है।

किसी नये संयुक्त उद्यम या वर्तमान संयुक्त उद्यम में सीधा विदेशी पूंजी निवेश बढ़ाने के प्रस्ताव में सीधे विदेशी पूंजी निवेश की सीमा 74 प्रतिशत तक होनी है।

कुछ असाधारण मामलों में यह सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत तक भी की जा सकती है, बशर्ते भारतीय साझेदार/साझेदारों की रजामंदी हो और सरकार उसके कारणों से पूरी तरह संतुष्ट हो।

इस क्षेत्र में जहां कहीं कोई विदेशी कंपनी या निवेशक पहले से ही किसी संयुक्त उद्यम में शामिल हो, किसी नयी, पूरी तरह से निजी सब्सिडी को आमतौर पर अनुमति नहीं दी जायेगी, जब तक कि इसके लिए कोई ठोस कारण न हो।

सीधे विदेशी पूंजी निवेश में सभी प्रत्यावर्तनीय निवेश शामिल हैं, चाहे निवेशक कोई भी हो।

इस तरह के निवेश को स्वतः स्वीकृति मिल सकेगी।

इलैक्ट्रॉनिक क्षेत्र

प्रसारण से सीधे-सीधे संबंधित विदेशी निवेश प्रस्ताव तब तक लंबित रहेंगे जब तक प्रसारण कानून लागू नहीं होता। इस समय, 80 प्रतिशत भारतीय भागीदारी वाली कंपनियों को सैटेलाइट चैनलों के लिए अपलिंक की अनुमति दी जा सकती है।

टेलीविजन सॉफ्टवेयर के निर्माण और टेलीविजन पर प्रसारण के अधिकारों, प्रसारण-समय विज्ञापन आदि की बिक्री से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है, बशर्ते-

(क) प्रसारण से संबंधित आगे बने सभी कानून उन पर भी लागू होंगे और वे पहले की मंजूरी के आधार पर किसी विशेषाधिकार या संरक्षण का दावा नहीं करेंगे।

(ख) वे भारतीय भूमि से कोई प्रसारण नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें उसके लिए विशेष अनुमति नहीं दी गयी हो।

(ग) भारत में टीवी सॉफ्टवेयर बेचने की इच्छुक कंपनियां (क) और (ख) की शर्तों को पूरा करने के अलावा दूरदर्शन के प्रोग्राम कानून और विज्ञापन कोड का भी पालन करेंगी। जिन कंपनियों में कम से कम 25 प्रतिशत भारतीय भागेदारी होगी, उनके प्रस्तावों को वरीयता दी जायेगी। वैसे कुछ मामलों में 100 प्रतिशत विदेशी भागीदारी को भी अनुमति दी जा सकती है। निजी एफ.एम. प्रसारण में विदेशी भागीदारी को अनुमति नहीं दी जायेगी।

प्रिंट मीडिया

समाचारपत्र - पत्रिकाओं का विदेशी स्वामित्व भारत में विदेशियों के समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं के मालिक होने और उनके भारतीय संस्करणों के प्रकाशन के बारे में 13 सितम्बर, 1955 का मंत्रिपरिषद् का फैसला मान्य है। इस फैसले में कहा गया है कि - "विदेशी स्वामित्व वाले समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं को भविष्य में भारत में प्रकाशन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विदेशी समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में जितने मुख्य रूप से समाचार तथा सामयिक विषय प्रकाशित होते हैं भारतीय संस्करण प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"

यह फैसला पहले प्रेस आयोग की सिफारिश के आधार पर लिया गया था। आयोग ने अन्य बातों के अलावा यह भी कहा था कि दैनिक तथा साप्ताहित समाचार-पत्रों का स्वामित्व अधिकतर भारतीय हाथों में ही होना चाहिए। आयोग का मानना था कि, खासतौर पर उच्च स्तर पर पूंजी और कर्मचारियों का भारतीय होना ही अच्छा है। यह महसूस किया गया कि समाचार-पत्रों को उद्योग के बराबर नहीं समझा जाना चाहिए क्योंकि उनका असली काम जनमत तैयार, लोकतंत्र के कामकाज पर प्रभाव डालना है। समाचार-पत्रों के स्वामित्व में विदेशी हिस्सेदारी और नियंत्रण का इस्तेमाल भारतीय जनमत को विदेशी हित में प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है और कुछ मामलों में यह विदेशी सरकार की शह पर भी हो सकता है।

इसी फैसले के अनुरूप, 1955 को अब तक, इस मंत्रालय ने प्रिंट मीडिया में विदेशी भागीदारी की, या विदेशी समाचार-पत्रों व पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी है। लेकिन देश में मीडिया के क्षेत्र में हुए अनेक परिवर्तनों को देखते हुए, और विदेशी समाचार-पत्रों - पत्रिकाओं को खुला सामान्य लाइसेंस मिलने के कारण,

बाजार में उनके आसानी से उपलब्ध होने को देखते हुए, अब मंत्रिपरिषद् के 1955 के फैसले की समीक्षा के प्रयास किये जा रहे हैं।

समाचार एजेंसियों का विदेशी स्वामित्व

भारत में समाचार एजेंसियों के विदेशी स्वामित्व के बारे में वर्तमान नीति का आधार मंत्रिपरिषद् का 1956 का फैसला है। यह फैसला भी पहले प्रेस आयोग की सिफारिश पर आधारित था इसके कुछ संबंधित अंश नीचे दिये जा रहे हैं - "विदेशी समाचार एजेंसियों को सिर्फ उसी सूरत में संचार सुविधाएं दी जाएंगी, जब देश में समाचारों का वितरण भारतीय स्वामित्व और प्रबंधन वाली, भारतीय समाचार एजेंसी के माध्यम से कराया जाए। साथ ही, उसी भारतीय एजेंसी को वितरण के लिए विदेशी समाचारों के चयन का पूरा-पूरा अधिकार हो और वही अपने सहयोगी विदेशी समाचार एजेंसी को भारत के समाचार भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने की स्थिति में हों।"

विदेशी समाचार एजेंसियों के भारत में काम करने के अनुरोधों पर विचार करने के लिए इसी फैसले को मानदण्ड माना जाता रहा है। जहां तक विदेशी समाचार एजेंसियों द्वारा वित्तीय सेवाओं के वितरण का सवाल है, वित्तीय समाचार एजेंसिंयों द्वारा वित्तीय समाचारों के सीधे वितरण से मंत्रिपरिषद् के 1956 के फैसले का उल्लंघन नहीं होता। इसी फैसले के बाद मंत्रालय ने, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मेसर्स रॉयटर्स को अनुमति दिए जाने पर अपनी मंजूरी व्यक्त की। इसमें शर्त यह है कि उनकी वित्तीय सेवाएं, केवल कुछ चुने हुए भारतीय गैर मीडिया ग्राहकों के अपने इस्तेमाल के लिए होंगी और उनका प्रकाशन या सार्वजनिक वितरण नहीं किया जाएगा।

.....